न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

छैलसिंह पुत्र पीर[illegible] जी, जाति [illegible], निवासी- वेरापुरा, तह. व जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज[illegible] तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:49:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील संख्या: 35/2020

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवडा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार

-: निर्णय :- दिनांक 14 दिसम्बर, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 25/2020 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2020 बाबत ग्राम माकरोडा, पटवार हल्का माकरोडा के खसरा संख्या 174 रकबा 1.60 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि का अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि में प्रदत्त प्रावधानों के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह कि अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमण नही था एवं न ही अधीनस्थ न्याालय द्वारा अपीलार्थी को जारी नोटिस में अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर पूर्व के कौनसे कृषि वर्ष में अतिक्रमण किया था का उल्लेख किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। यह कि विवादित भूमि अपीलार्थी के भूमि से लगती हुई थी जिसे अपीलार्थी द्वारा खलिहान के रुप में उपयोग में लिया था एवं अपीलार्थी ने विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण भी हटा लिया है, इस संबंध में अपीलार्थी ने स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ अतिक्रमण हटाने बाबत स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, इसलिये अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक माह के सिविल कारावास की सजा के पारित आदेश को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, माकरोडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2077 में विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, माकरोडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2077 में ग्राम माकरोडा, पटवार हल्का माकरोडा के खसरा संख्या 174 रकबा 1.60 हेक्टेयर किस्म कातरा भूमि पर कब्जा व बाड कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जारी उक्त पश्चातवर्ती नोटिस में अपीलार्थी ने पूर्व में विवादित भूमि पर कौनसे कृषि वर्ष में अतिक्रमण किया था, का उल्लेख नही किया है, जबकि विधि अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमण के नोटिस में पूर्व में कौनसे कृषि वर्ष में अतिक्रमण किया था उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2020 में भी यह उल्लेख नही किया है कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर पूर्व में कौनसे वर्ष अतिक्रमण किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि से कब्जा हटा लेने के संबंध में का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, जो स्थगन प्रार्थना पत्र की पत्रावली के संलग्न है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए बेदखली एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश को यथावत बहाल रखते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: अपीलार्थी की अपील को आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 25/2020 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2020 के द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश को यथावत बहाल रखते हुए एक माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

14/12/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:49:05 IST
Reason: SelfAttested